हरियाणा सरकार

लेखे एक दृष्टि में

2010 - 2011

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)
हरियाणा, चण्डीगढ़

हरियाणा सरकार

लेखे एक दृष्टि में
2010 - 2011

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)

हरियाणा, चण्डीगढ़

प्रस्तावना

यह संकलन ' लेखे एक दृष्टि में ', विभिन्न पण-धारियों की, हरियाणा राज्य के वित्त-सार पर, पाठक सहयोगी संस्करण की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का एक प्रयास है । इस क्रम में यह तेरहवां संस्करण है ।

यह संस्करण, इस कार्यालय द्वारा भारत के संविधान की धारा 149 एवं नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 खण्ड-।। के अधीन तैयार वित्त-लेखों एवं विनियोग लेखों में दर्ज वृहदाकार सूचनाओं का सार है ।

राज्य सरकार के वार्षिक लेखों में (क) वित्त लेखे एवं (ख) विनियोग लेखे समाहित हैं । वित्त लेखे समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक-लेखों के अन्तर्गत लेखों का सार हैं । विनियोग लेखे राज्य विधान-मण्डल द्वारा अनुमोदित प्रावधानों के प्रति अनुदान-वार व्यय और प्रावधानित निधियों तथा वास्तविक व्यय के बीच विभिन्नता सम्बन्धी व्याख्यानों को दर्शाता है ।

' लेखे एक दृष्टि में ' वित्त लेखों एवं विनियोग लेखों में दर्ज, सरकार की गतिविधियों का सम्पूर्ण दृश्य दिखाता है । पण-धारियों-विधायिका, कार्यपालिका एवं जनता को लेखों की सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, सूचनाओं को संक्षिप्त व्याख्या, विवरणी, रेखाचित्र एवं समय श्रृंखला विशलेषण के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है । हरियाणा सरकार के वित्त-लेखों, विनियोग लेखों एवं राज्य के वित्त पर भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सहित ' लेखे एक दृष्टि में ' का अवलोकन पण-धारियों को राज्य के वित्त के विभिन्न पहलुओं को अधिक प्रभावी ढंग से समझाने में सहायक होगा ।

हमें पाठकों की प्रतिक्रिया, जिस से संस्करण को उत्कृष्ट बनाने में सहायता मिलेगी, की प्रतीक्षा है ।

स्थानः चण्डीगढ़
दिनांकः 02-12-2011

बलविन्द्र सिंह
प्रधान महालेखाकार

हमारा परिदृश्य, उद्देश्य और अन्तर्मूल्य

भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षा संस्थान का **परिदृश्य** यह प्रस्तुत करना है कि हम क्या बनने के अभिलाषी हैं।

हम प्रयत्नरत हैं कि हम लेखा और लेखा परीक्षा के मामले में राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम व्यवहारों के सम्बध में, सार्वभौमिक नेतृत्व प्राप्त करें, और सार्वजनिक वित्त व शासन के संबंध में स्वतंत्र, साख पूर्ण, संतुलित और समायोचित प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ।

हमारा **उद्देश्य** वर्णन करता है कि हम आज कल क्या कर रहे हैं, और हमारी वर्तमान भूमिका क्या है ।

भारत के संविधान द्वारा समर्थित, हम उच्च गुणवत्तापूर्ण लेखा व लेखा परीक्षा के माध्यम से जिम्मेवारी, पारदर्शिता और सुशासन को प्रोत्साहन देते हैं तथा हमारे पणधारियों-विधानपालिका, कार्यपालिका और जनता को स्वतंत्र वचन देते हैं कि सार्वजनिक धन का दक्षता पूर्ण और उद्देश्यपूर्ण प्रयोग हो रहा है ।

हमारे **अन्तर्मूल्य**, जो कुछ हम करते हैं उसके संबंध में हमें दिशा निर्देश देते हैं और हमारे प्रदर्शन के मूल्यांकन के संबंध में न्यायिक चिन्ह प्रदान करते है ।

- स्वतंत्रता
- उद्देश्यपूर्णता
- एकरूपता
- विश्वसनियता
- व्यवहारिक उत्कृष्ता
- पारदर्शिता
- सकारात्मकता

विषय - सूची

		पृष्ठ
अध्याय 1	**परिदृश्य**	
1.1	परिचय	1
1.2	लेखाओं की संरचना	1
1.3	वित्त लेखे और विनियोग लेखे	2
1.4	निधियों की स्त्रोत व उपयोग	4
1.5	लेखों के मुख्य अंश	7
1.6	घाटे एवं अधिशेष क्या दर्शातें हैं ?	8
अध्याय 2	**प्राप्तियाँ**	
2.1	परिचय	11
2.2	राजस्व प्राप्तियां	11
2.3	प्राप्तियों के रूझान	12
2.4	राज्य के स्वंय के कर राजस्व संग्रह का प्रदर्शन	14
2.5	कर संग्रह की कार्य कुशलता	14
2.6	करों में राज्य के हिस्से का रूझान	14
2.7	सहायतानुदान	15
2.8	लोक ऋण	15
अध्याय 3	**व्यय**	
3.1	परिचय	16
3.2	राजस्व व्यय	16
3.3	पूंजीगत व्यय	18
अध्याय 4	**योजनागत और गैर योजनागत व्यय**	
4.1	व्यय का वितरण (2010-11)	19
4.2	योजनागत व्यय	19
4.3	गैर योजनागत व्यय	20
4.4	प्रतिबद्ध व्यय	21
अध्याय 5	**विनियोग लेखे**	
5.1	विनियोग लेखे 2010-11का सारांश	22
5.2	पिछलें पाँच वर्षो का बचत/आधिक्य के रूझान	22
5.3	महत्वपूर्ण बचत	22
अध्याय 6	**परिसम्पत्तियाँ और दायित्व**	
6.1	परिसम्पत्तियाँ	23
6.2	ऋण और दायित्व	23
6.3	गारंटी	24
अध्याय 7	**अन्य मदें**	
7.1	राज्य सरकार द्वारा प्रदत ऋण और अग्रिम	25
7.2	स्थानीय और अन्य को वित्तिय सहायता	25
7.3	रोकड़ शेष का निवेश और नकदी शेष	25
7.4	लेखाओं का समाशोधन	26
7.5	कोषालय द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	26
7.6	सार आकस्मिक व्यय बिल /विस्तृत आकस्मिक बिल	26
7.7	समेकित निधि से बाहर निधियों की स्थापना	26
7.8	आरक्षित निधियां	27

अध्याय 1

परिदृश्य

1.1. परिचय

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा, हरियाणा सरकार के आय व व्यय के लेखों को संकलित करते हैं। ये लेखे,जिला कोषागारों, लोक निर्माण विभाग व वन मण्डलों के अधिकारियों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भेजी गयी सुचनाओं पर आधारित होते हैं । इसके उपरांत प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रति वर्ष वित्त लेखे व विनियोग लेखे तैयार करते हैं, जिन्हें प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वारा परीक्षित व भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरान्त राज्य विधान मंडल को प्रस्तुत किया जाता है ।

1.2. लेखाओं की संरचना

1.2.1. सरकारी लेखे तीन भागों में रखे जाते हैः

भाग I समेकित निधि	राजस्व व पूंजीगत, लोक देनदारियां एवं ऋण व अग्रिम से सम्बन्धित सभी प्राप्तियाँ तथा व्यय ।
भाग II आकस्मिक निधि	बजट में प्रावधान न किये गये आकस्मिक व्यय की पूर्ति हेतु । इस निधि से खर्च की बाद में समेकित निधि से प्रतिपूर्ति की जाती है ।
भाग III लोक लेखा	ऋण, जमा, अग्रिम, प्रेषण और उचन्त लेन-देन । ऋण तथा जमा राज्य सरकार के दायित्वों को दर्शातें हैं । अग्रिम सरकार के प्राप्तेय हैं । प्रेषण तथा उचन्त लेन-देन, ऐसी प्रविष्टियां होती है जिन्हें कालान्तर में अंतिम लेखाशीर्षों में समायोजित किया जाता है ।

1.2.2. सरकारी लेखों की संरचना का चित्रमय प्रदर्शनः

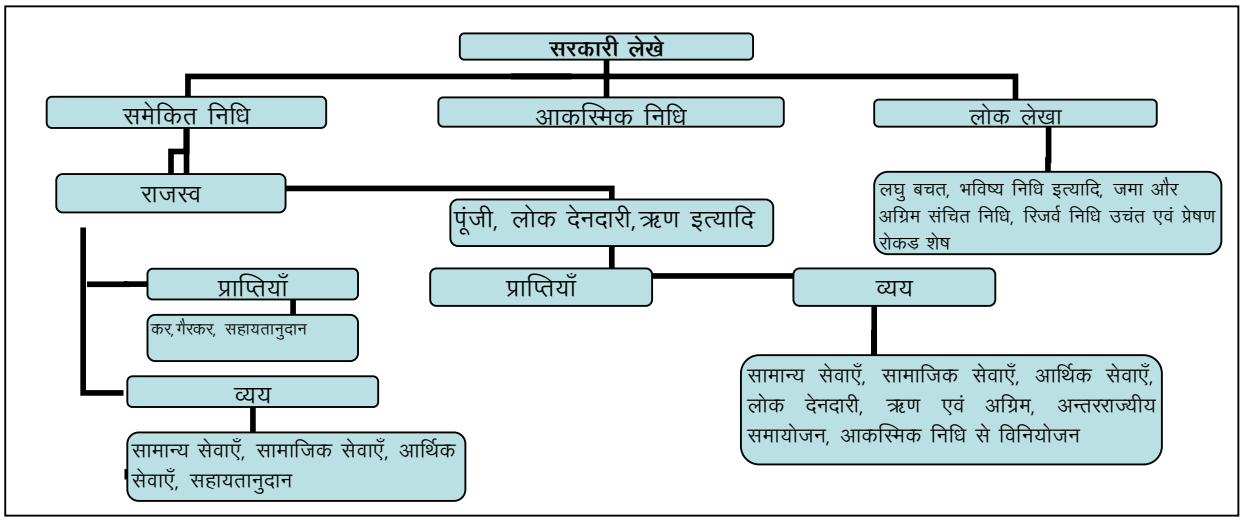

1.2.3. लेखाओं का संकलन

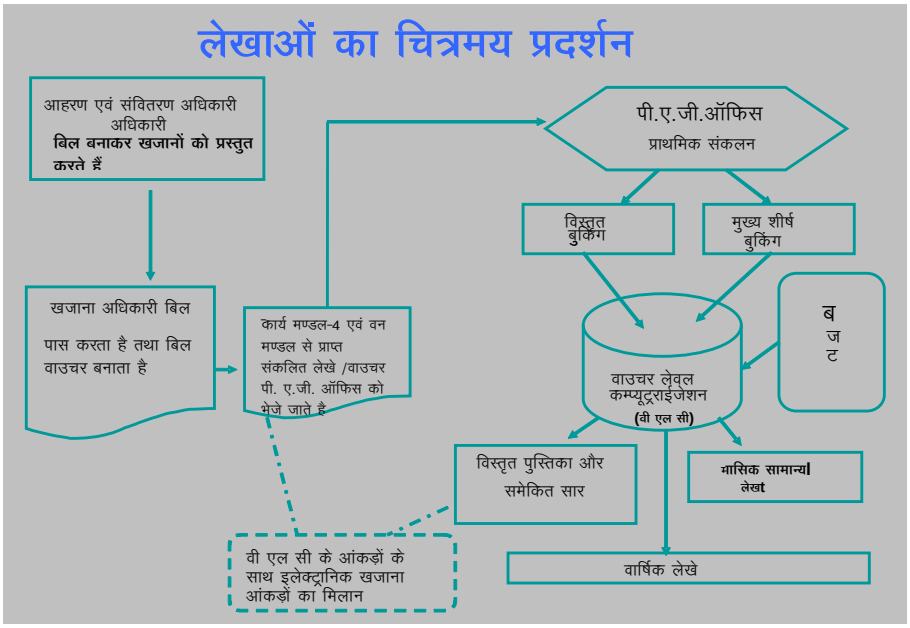

1.3. वित्त लेखे और विनियोग लेखे

1.3.1. वित्त लेखे

वित्त लेखे, राजस्व व पूंजीगत लेखों के वित्तिय परिणामों व लोक ऋण तथा लोक लेखों के शेषों के साथ-साथ सरकार की प्राप्तियों व व्ययों को दर्शाते हैं । वित लेखे को अधिक सुगम व सूचनात्मक बनाने के लिये एक नये रूप में दो खण्डों में प्रकाशित किया गया है । खण्ड एक में नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक के प्रमाण पत्र, सकल प्राप्तियों तथा व्ययों के सारांश संबंधी विवरणियां, लेखा संबंधी महत्वपूर्ण नीतियां तथा लेखों की गुणवत्ता व अन्य मदों के साथ-साथ लेखों पर टिप्पणियां शामिल हैं । खण्ड-2 में अन्य सारांश संबंधी विवरणियां (भाग-1), विस्तृत विवरणियां (भाग-2) व अनुच्छेद (भाग-3) शामिल है ।

वित्त लेखे 2010-11 में दिखाये गये राजस्व व पूंजीगत लेखे, लोक ऋण और दायित्व निम्न लिखित है ।

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां (कुल: 33,063)	**राजस्व (कुल: 25,564)**	कर राजस्व	**19,092**
		कर रहित राजस्व	**3,421**
		सहायतानुदान	**3,051**
	पूंजीगत (कुल: 7,499)	**पूंजीगत प्राप्तियाँ**	**8**
		ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां	**233**
		उधार व अन्य दायित्व*	**7,258**
संवितरण (कुल: 33,063)	**राजस्व**		**28,310**
	पूंजीगत		**4,031**
	ऋण तथा अग्रिम		**722**

* **उधार व अन्य दायित्वः लोक ऋण का (प्राप्तियां व संवितरण) निवल + आकस्मिक निधि का निवल + लोक लेखे में (प्राप्तियां व संवितरण) निवल + आरभिक व अंतिम रोकड़ शेषों का निवल**

केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को लागू करने हेतू कार्यान्वित अभिकरणों/गैर सरकारी संस्थानों की अधिकांश निधियां सीधे तौर पर हस्तांतरित करती है । इस वर्ष सीधे तौर पर भारत सरकार ने ₹ 1,006 करोड़ (₹ 553 करोड़ बीते वर्ष) जारी किये । चूकिं ये निधियां राज्य सरकार के बजट के माध्यम से नहीं आयी, इसलिए ये राज्य सरकार के लेखाओं में प्रदर्शित नहीं की गई । ये हस्तांतरण वित्त लेखे के खण्ड-II का परिशिष्ट-VII में दर्शायी गयी है ।

1.3.2. विनियोग लेखे

विनियोग लेखे, वित्त लेखे का अनुपूरक है । विनियोग लेखे राज्य विधानमंडल द्वारा पारित दत्तमत और प्रभारित धनराशियों के विरूद्ध किये गये व्यय को प्रस्तुत करते हैं । इसमे 21 प्रभारित विनियोग तथा 65 दत्तमत अनुदानों के लेखे सम्मिलित है ।

विनियोग अधिनियम 2010-11 में ₹ 7,675.01 करोड़ की अनुपूरक अनुदानों को सम्मिलित करते हुए ₹ 51,653 करोड़ के सकल व्यय की व्यवस्था की गई है । व्यय की कमी से वसूलियों के लिए 4,423 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था थी । विनियोग लेखे 2010-11 कुल प्रावधान ₹ 51,653 करोड़ के विरूद्ध ₹ 41,893 करोड़ के संवितरण को दर्शातें हैं । परिणाम स्वरूप अनुदानों और विनियोगों के विरूद्ध ₹ 9,760 करोड़ की बचत हुई है। ₹ 3,999 करोड़ की व्यय में कमी से संबिंधत वसूलियां बजट अनुदान की तुलना में ₹ 424 करोड़ की नकारात्मक वृद्धि को दर्शाते हैं । कुल सकल व्यय में ₹ 0.02 करोड़ भी शामिल है जो कि सार आकस्मिक बिल द्वारा आहरित किये गये हैं, विस्तृत आकस्मिक बिल के अभाव में इस वर्ष के अन्त में बकाया है।

वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 266 करोड़ संचित निधि से सार्वजनिक खाते के तहत व्यक्तिगत जमा लेखा, जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नामित प्रशासक के द्वारा रखा जाता है को हस्तांतरित किया गया है। आमतौर पर व्यक्तिगत जमा खातों के तहत अव्ययित शेष वित्तीय वर्ष के अन्त में वापस सरकार को हस्तांतरित किया जा रहा है। हालांकि, ऐसे स्थानान्तरण का ब्यौरा, यदि कोई हो और व्यक्तिगत जमा खातों में बकाया शेष खजानों के साथ ही उपलब्ध है, क्योंकि वे इस तरह के रिकार्ड के रख-रखाव के लिए जिम्मेवार है ।

1.4. निधियों के स्त्रोत एवं उपयोग

1.4.1. अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को अपनी आर्थिक परिसमापन स्थिति को बनाए रखने के लिए अर्थोपाय पेशगियों की सुविधा देती है और उसके बाद जब कभी सहमत न्यूनतम रोकड़ शेषों (₹ 1.14 करोड़) में कमी होती है तब ओवर ड्राफ्ट की सुविधा देती है जिसका लेखा रिजर्व बैंक रखता है। वर्ष 2010-11 के दौरान हरियाणा सरकार ने ओवर ड्राफ्ट सुविधा का लाभ नहीं उठाया और केवल दो बार सात दिन के लिए अर्थोपाय पेशगी (₹ 364 करोड़ तथा ₹ 306 करोड़) प्राप्त की। इसे इस तथ्य के विपरित देखा जा सकता है कि कुल 43 अनुदानों में कुल ₹ 9,982 करोड़ रूपये की बचत थी परिणामस्वरूप अनुमानों के विरूद्ध व्यय में 24 प्रतिशत की कमी थी।

1.4.2. निधि प्रवाह विवरण

राज्य के पास ₹ 2,746 करोड़ के राजस्व घाटे और ₹ 7,258 करोड़ का राजकोषीय घाटा था जो सकल राज्य धरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी) [1] का क्रमशः 1.07 प्रतिशत एवं 2.82 प्रतिशत था। राजकोषीय घाटा कुल व्यय का 22 प्रतिशत था। इसकी भरपाई लोक ऋण में (₹ 10,513 करोड़) तथा लोक लेखे में (₹ 743 करोड़) से वृद्धि, की गयी । राज्य की लगभग 63 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां (₹ 25,564 करोड़) प्रतिबद्ध व्यय जैसे वेतन (₹ 9,672 करोड़) ब्याज भुगतान (₹ 3,319 करोड़) एवं पेंशन (₹ 3,094 करोड़) पर खर्च हुई।

[1] प्रकाशित राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े हरियाणा सरकार के योजना विभाग के आर्थिक सर्वेक्षण से लिये गये हैं ।

निधियों के स्त्रोत और अनुप्रयोग

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राशि
	प्रारंभिक रोकड़ शेष 01.04.2010 को	(-)1,132
	राजस्व प्राप्तियां	25,564
	पूंजीगत प्राप्तियां	8
	ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां	233
	लोक ऋण (अर्थोपाय पेशगियां भी शामिल है)	10,513
	भविष्य निधि, लधु बचत और अन्य	1,964
	आरक्षित और निक्षेप निधियाँ	540
स्त्रोत	जमा प्राप्तियां	8,267
	सिविल अग्रिमों का पुनर्भुगतान	83
	उचन्त लेखे	33,488
	प्रेषण	5,361
	आकस्मिक निधि	190
	कुल	**85,079**
	राजस्व व्यय	28,310
	पूंजीगत व्यय	4,031
	प्रदत्त ऋण	722
	लोक ऋण का पुनर्भुगतान (अर्थोपाय पेशगियां भी शामिल है)	4,642
	आकस्मिक निधि को विनियोजन	190
	भविष्य निधि लधु बचत और अन्य	1,216
	आरक्षित और निक्षेप निधियाँ	531
अनुप्रयोग	जमा व्यय	7,950
	प्रदत्त सिविल अग्रिम	83
	उचन्त लेखे	34,124
	प्रेषण	5,056
	अंतिम रोकड़ शेष 31.03.2011 को	(-)1,776
	कुल	**85,079**

1.4.3. रूपये का आवक स्थान

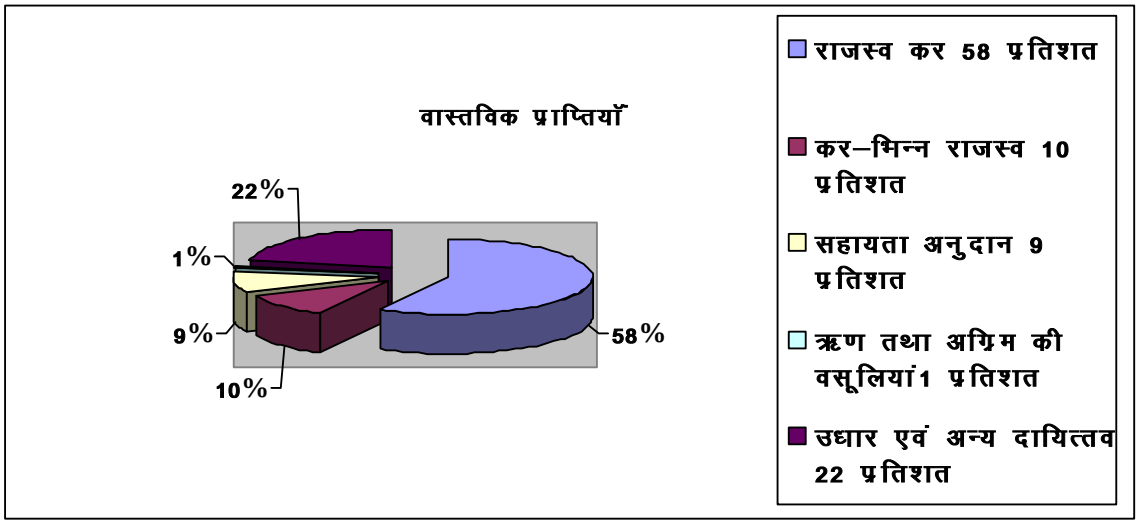

1.4.4. रूपये का जावक स्थान

(₹ करोड़ में)

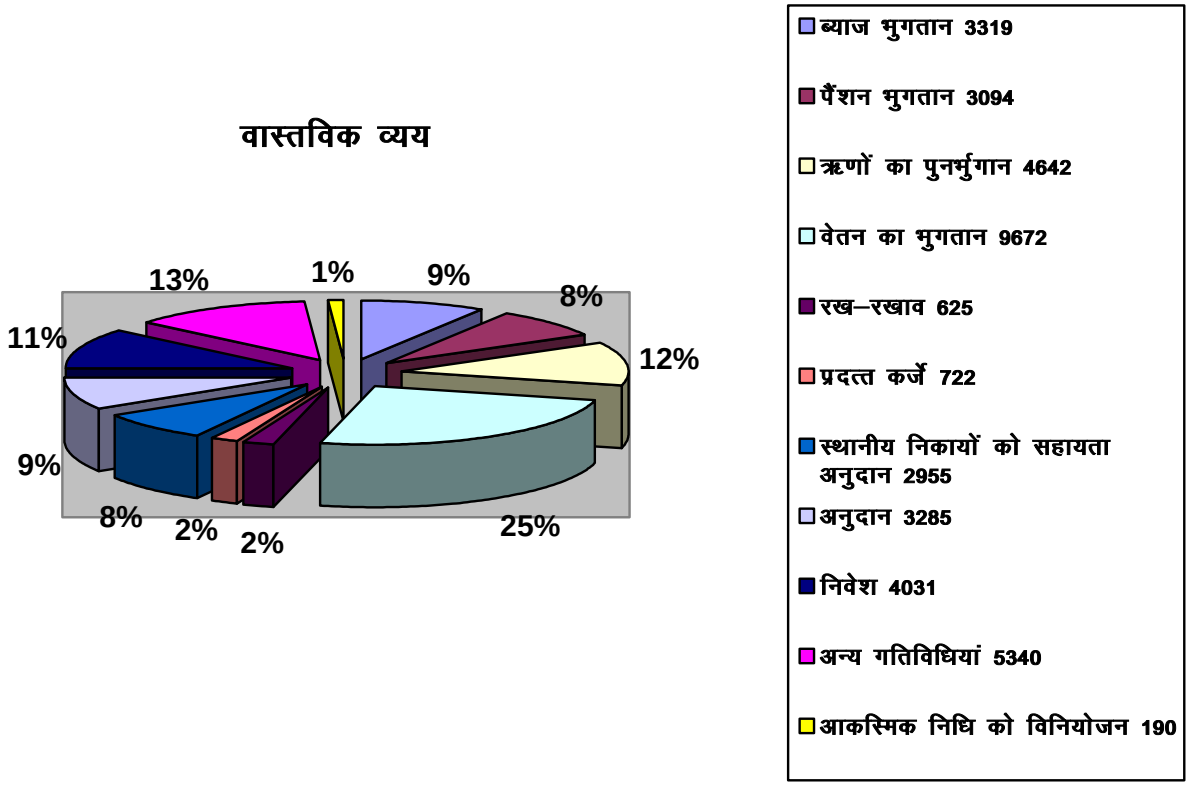

1.5 लेखे के मुख्य अंश

(₹ करोड़ में)

		बजट अनुमान 2010-11	वास्तविक आंकड़े	वास्तविक आंकड़ों की बजट अनुमानों से प्रतिशतता	वास्तविक आंकड़ों की जी.एस.डी.पी से प्रतिशतता (एस)
1	कर राजस्व @	18,663	19,092	102	7
2	कर भिन्न राजस्व	3,549	3,421	96	1.34
3	सहायकता अनुदान तथा अंशदान	2,329	3,051	131	1
4	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)	24,541	25,564	104	10
5	ऋणों की वसूली	228	233	102	0
6	अन्य प्राप्तियां	16	8	1	0
7	उधार एवं अन्य दायित्व (क)	16,491	7,258	44	3
8	पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)	16,735	7,499	45	3
9	कुल प्राप्तियां (4+8)	41,276	33,063	80	13
10	योजनेत्तर व्यय (*)	27,161	22,429	83	9
11	राजस्व लेखे पर योजनेत्तर व्यय	24,647	22,059	89	9
12	मद संख्या 11 में से ब्याज के भुगतान पर योजनेत्तर व्यय	3,913	3,319	88	1
13	पूंजीगत लेखे पर योजनेत्तर व्यय (**)	2514	370	15	0
14	योजनागत व्यय (*)	14,115	10,634	75	2.4
15	राजस्व लेखे पर योजनागत व्यय	8,045	6,251	78	3
16	पूंजीगत लेखे पर योजनागत व्यय	6,070	4,383	72	2
17	कुल व्यय (10+14)	41,276	33,063	80	13
18	राजस्व व्यय (11+15)	32,691	28,310	87	11
19	पूंजीगत व्यय (13+16)(#)	8,585	4,753	55	2
20	राजस्व आधिक्य (4-18)	-8,150	-2,746	34	(-) 1
21	राजकोषीय घाटा (4+5+6-17)	-16,491	-7,258	44	(-) 3

(@) **₹2,302 करोड़ संघीय कर का राज्य का हिस्सा शामिल है।**

($) **₹ 2,57,793 करोड़ जी.एस.डी.पी. योजना विभाग हरियाणा सरकार द्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण से लिए गये हैं ।**

(#) **पूंजीगत लेखे पर व्यय में पूंजीगत व्यय (₹4,031 करोड़) तथा वितरित कर्जे तथा उधार (₹722 करोड़) शामिल है ।**

(*) **योजनेत्तर व्यय ₹184 करोड़ और ऋण और अग्रिम के लिए योजनागत ₹538 करोड़ रूपये शामिल है ।**

(क) उधार तथा अन्य दायित्वः निवल (प्राप्तियां-संवितरण) लोक ऋण + निवल आकस्मिक निधि + निवल (प्राप्तियां-संवितरण) लोक लेखे + नकद प्राप्तियों का आरभिक शेष निवल

(**) नकारात्मक व्यय वसूली का बजट में अनुमान नहीं होने के कारण है ।

1.6 घाटे एवं अधिशेष क्या दर्शाते हैं?

घाटा	राजस्व एवं व्ययों के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। घाटे का प्रकार, घाटे का वित्त पोषण कैसे किया गया एवं निधियों के उपयोग वित्तीय प्रबंधन में विवेक के महत्वपूर्ण संकेतक है ।
राजस्व घाटा/अधिशेष	राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्ययों के अन्तर को संदर्भित करता है । राजस्व व्यय के लिए सरकार की वर्तमान स्थापना को बनाये रखने के लिए आवश्यक है कि यह व्यय पूरी तरह राजस्व प्राप्तियों से ही हो।
राजकोषीय घाटा/अधिशेष	कुल प्राप्तियों (उधार छोड़कर) और कुल व्यय के बीच अंतर को संदर्भित करता हो । यह अंतर, इस प्रकार इंगित करता हैकि कौन सा व्यय उधार द्वारा वित्त पोषित है। आदर्श रूप में उधारों को पूंजीगत परियोजनाओं में निवेशित करना चाहिए।

हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, जुलाई 2005 में, राजस्व घाटे को समाप्त करने तथा राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा के भीतर राजकोषीय घाटे को कम करने के उददेश्य से लागू किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार राजस्व घाटे को वर्ष 2008-09 तक शून्य पर लाना तथा राजकोषीय घाटे की सीमा अधिकतम, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक रखना था। राजस्व घाटे को शून्य करने की शर्त में 2008-09 तथा 2009-10 के लिए ढ़ील दी गई थी। राजकोषीय घाटे के संबंध में भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय के ऋण समेकन तथा राहत सुविधा हेतु दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए 2008-09 हेतु लक्ष्य में स.रा.घ.उ. के 3 प्रतिशत से 3.5 प्रतिशत तथा 2009-10 हेतु स.रा.घ.उ. के 3.5 प्रतिशत से 4 प्रतिशत की ढ़ील दी गई। हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अनुसार आकस्मिकता देनदारी सहित कुल बकाया ऋण की सीमा, 2005-06 से 2009-10 तक के अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 28 प्रतिशत थी। राज्य की स्थिति प्रतिवेदन नीचे दर्शायी गयी है ।

(₹ करोड़ों में)

मदें	**2005-06 वास्तविक आंकड़े**	**2006-07 वास्तविक आंकड़े**	**2007-08 वास्तविक आंकड़े**	**2008-09 वास्तविक आंकड़े**	**2009-10 वास्तविक आंकड़े**
राजस्व घाटा	-12,13.42	-15,90.28	-22,,23.87	20,82.42	42,64.72
स.रा.घ.उ.की प्रतिशतता में	-1.12	-1.22	-1.44	1.14	1.97
राजकोषीय घाटा	2,85.86	-11,78.70	12,63.85	65,57.80	1,00,90.66
स.रा.घ.उ.की प्रतिशतता में	0.26	-0.91	0.82	3.59	4.67
बकाया राशि आकस्मिकता देनदारियों सहित	3,18,94.79	3,25,87.64	3,13,47.65	3,63,92.00	4,37,66.46
स.रा.घ.उ.की प्रतिशतता में	29.41	25.04	20.32	19.90	20.24

स्त्रोतः (राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गये आंकड़े)

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि राज्य वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक राजस्व बचत वाला राज्य रहा परंतु आर्थिक मंदी तथा छठे वेतन आयोग की रपट के क्रियान्वयन के कारण वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में राज्य में राजस्व घाटा रहा। राजकोषीय घाटे के संबंध में यह कहा जाता है कि 2005-06 से 2007-08 तक राज्य स.रा.घ.उ. के 3 प्रतिशत की सीमा के भीतर रहा है, परंतु उपरोक्त कारणों से वर्ष

2008-09 में राजकोषीय घाटे की प्रतिशतता, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के विरूद्ध, 3.50 से बढ़कर 3.59 रही तथा 2009-10 में, 4.00 से बढ़ कर 4.67 रही।

उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त 2008-09 तथा 2009-10 में पूंजीगत व्यय भी बढ़ाया गया जो कि स्वस्थ अर्थव्यवस्था का संकेत है। आकस्मिकता देनदारियों सहित बकाया ऋण वर्ष 2006-07 से 2009-10 तक स.रा.घ.उ. के 28 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के भीतर रहा। हरियाणा रा.उ.व.ब.प्र. अधिनियम में प्राप्य की घोषणा की कोई आवश्यकता नहीं है।

1.6.1 राजस्व घाटा/आधिक्य के रूझानः

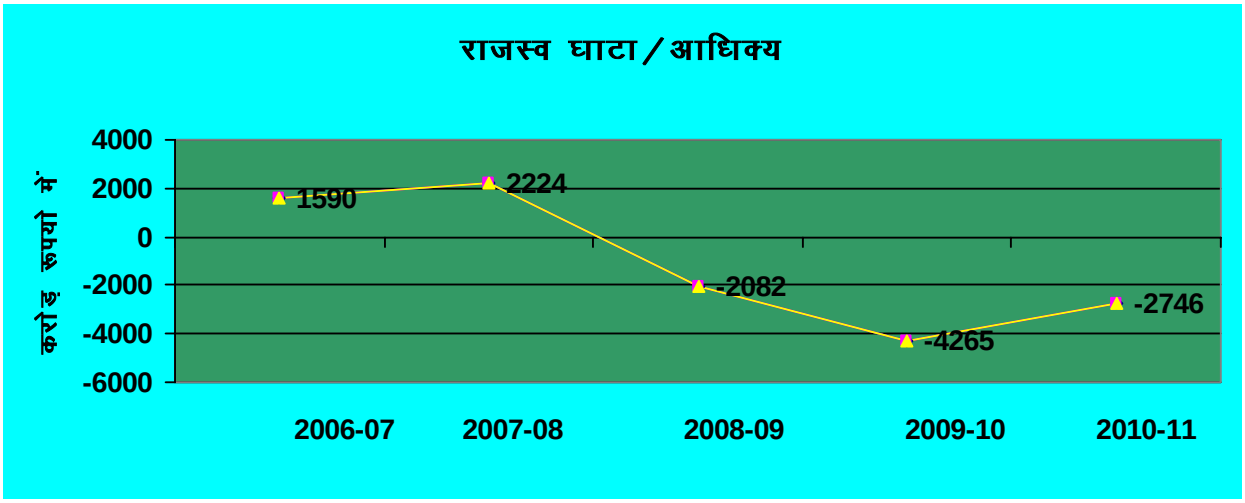

1.6.2 राजकोषीय घाटे के रूझानः

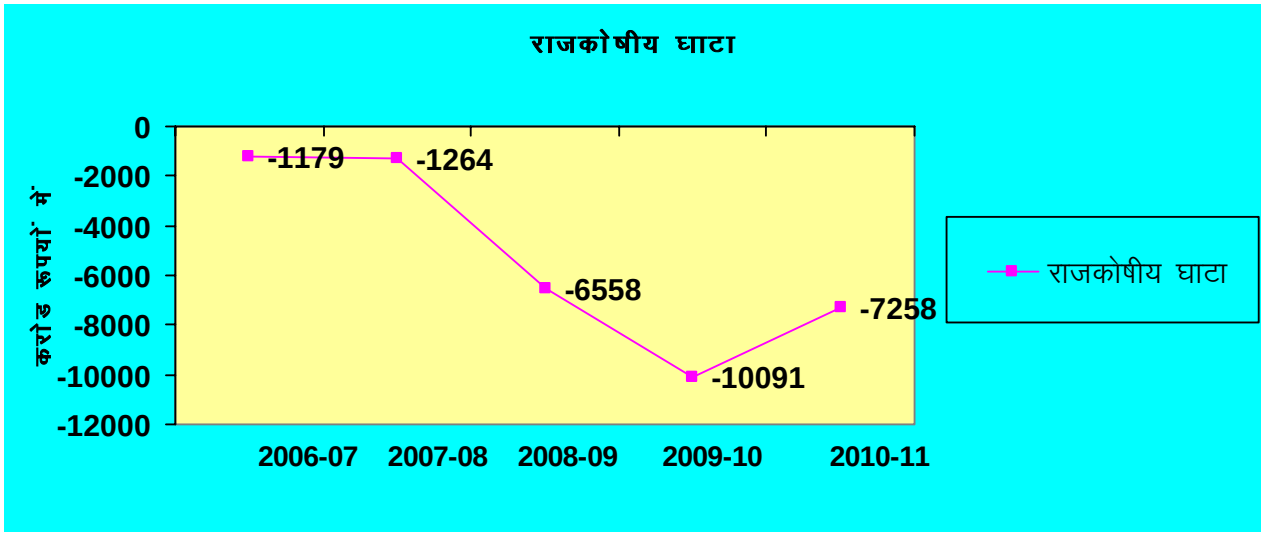

1.6.3 पूंजीगत व्यय पर खर्च की गई उधार निधि का अनुपात

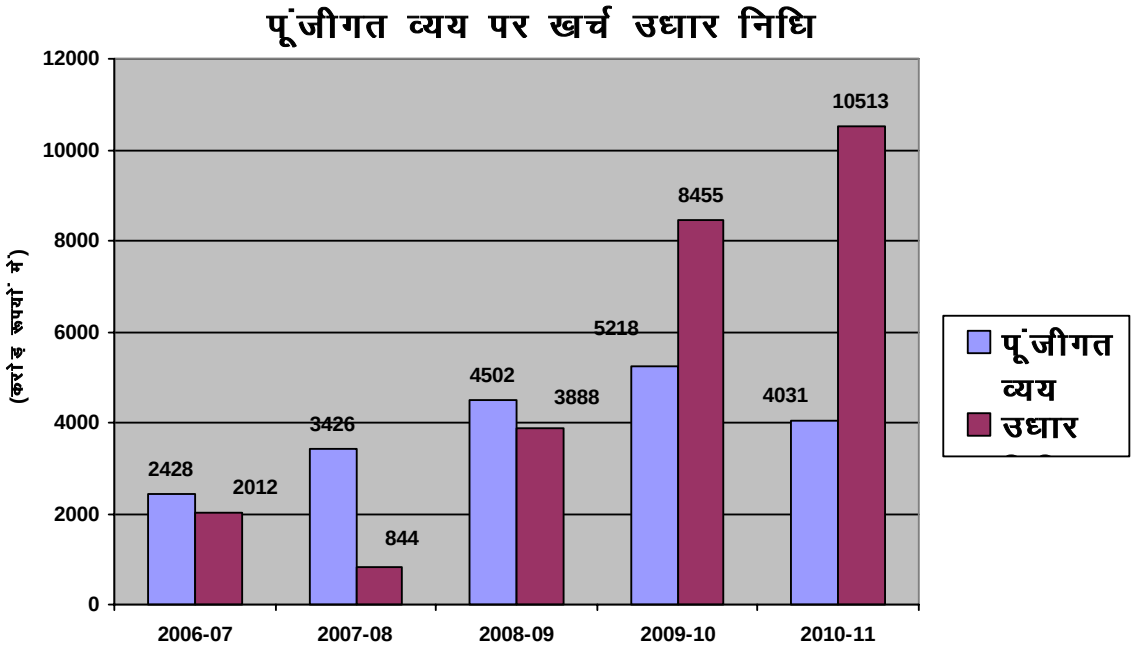

यह वांछनीय है कि पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए उधार ली गई रकम का उपयोग मूलधन तथा ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए राजस्व् प्राप्ति का पूरी तरह से उपयोग करें। बहरहाल राज्य सरकार चालू वर्ष में उधारी (₹10,513 करोड़)का केवल 38 प्रतिशत पूंजीगत व्यय (₹ 4,031 करोड़) पर खर्च कर पाई। इससे यह प्रकट होता है कि लोक ऋण का 62 प्रतिशत (₹ 6,482 करोड़) पिछले वर्षों के लोक ऋण के मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान, चालू वर्ष में व्यय के प्रति राजस्व की आवधिक कमी को पूरा करने हेतु, वर्ष के अंत में सकारात्मक रोकड़ अधिशेष बनाए रखने के लिए तथा खजाना बिलों में निवेश हेतु उपयोग किया गया।

अध्याय 2

प्राप्तियाँ

2.1. परिचय

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में वर्गीक़ृत किया जाता है। वर्ष 2010-11 के लिए कुल प्राप्तियां ₹ 33,063 करोड़ रही ।

2.2. राजस्व प्राप्तियाँ

कर राजस्व	संविधान के अनुच्छेद 280 (3) के तहत केन्द्रीय करों के राज्य का हिस्सा एवं राज्य द्वारा संग्रहीत और रखे गए कर इसके अन्तर्गत आते है ।
कर भिन्न राजस्व	ब्याज प्राप्तियां, लाभांश, लाभ आदि शामिल होते हैं।
सहायतानुदान	मूलतः केन्द्रीय सहायता राज्य सरकार को संध सरकार की ओर से सहायता का एक रूप है इसमें बाहरी सहायतानुदान तथा सहायता सामग्री व उपकरण जो विदेशों से प्राप्त हुए हैं, केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किये गये हैं भी शामिल है ।

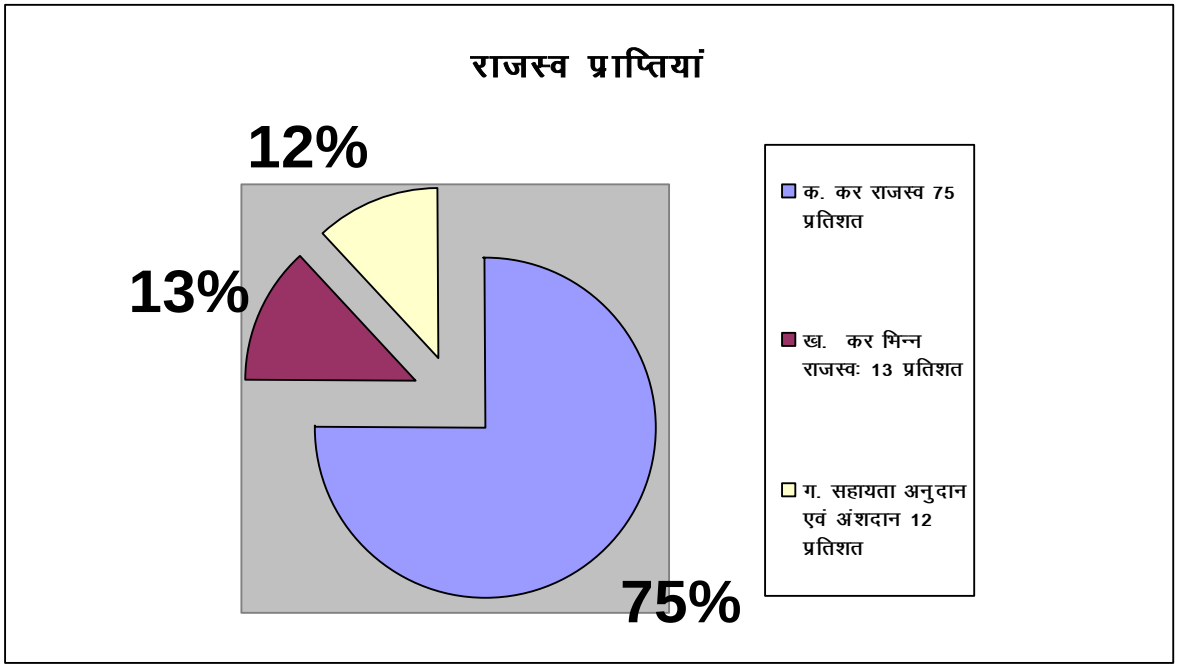

राजस्व प्राप्ति घटक (2010-11)

(₹ करोड़ में)

घटक	वास्तविक आंकड़े
क. राजस्व कर	**19,092**
आय और व्यय पर कर	1,375
पूंजी हस्तान्तरण और सम्पति पर कर	2,331
आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर कर	15,386
ख. कर भिन्न राजस्व	**3,421**
ब्याज प्राप्तियाँ, लाभ और लाभांश	692
सामान्य सेवायें	216
सामाजिक सेवायें	1,364
आर्थिक सेवायें	1,149
ग. सहायतानुदान एवं अंशदान	**3,051**
कुल-- राजस्व प्राप्तियाँ	**25,564**

2.3. प्राप्तियों के रूझान

(₹ करोड़ में)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
राजस्व कर	12,223 (9)	13,252 (9)	13,380 (7)	14,994 (7)	19,092 (7)
कर भिन्न राजस्व	4,591 (4)	5,097 (3)	3,238 (2)	2,741 (1)	3,421 (2)
सहायतानुदान	1,138 (1)	1,402 (1)	1,834 (1)	3,257 (2)	3,051 (1)
कुल राजस्व प्राप्तियाँ	17,952 (14)	19,751 (13)	18,452 (10)	20,993 (10)	25,564 (10)
सकल राज्य धरेलू उत्पादन	1,30,141	1,54,283	1,82,914	2,16,287	2,57,793

नोटः कोष्ठकों में आंकड़े, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है।

वर्ष 2008-09 के आंकड़े अनन्तिम अनुमानित है वर्ष 2009-10 द्रुत अनुमानित तथा वर्ष 2010-11 के आंकड़े पुर्वानुमानित है ।

हालांकि सकल राज्य धरेलू उत्पाद में वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के मध्य 21 प्रतिशत तक की कमी के वाबजूद राजस्व संग्रह में केवल 22 प्रतिशत वृद्धि थी । जबकि कर राजस्व में 27 प्रतिशत तथा गैर कर राजस्व में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई । राज्य के स्वंय का राजस्व कर के घटकों जैसे बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 11,082 करोड़), राज्य उत्पाद शुल्क (₹ 2,366 करोड़) तथा स्टाम्प तथा पंजीकरण (₹ 2,319 करोड़) में उच्च दर का रूझान रहा ।

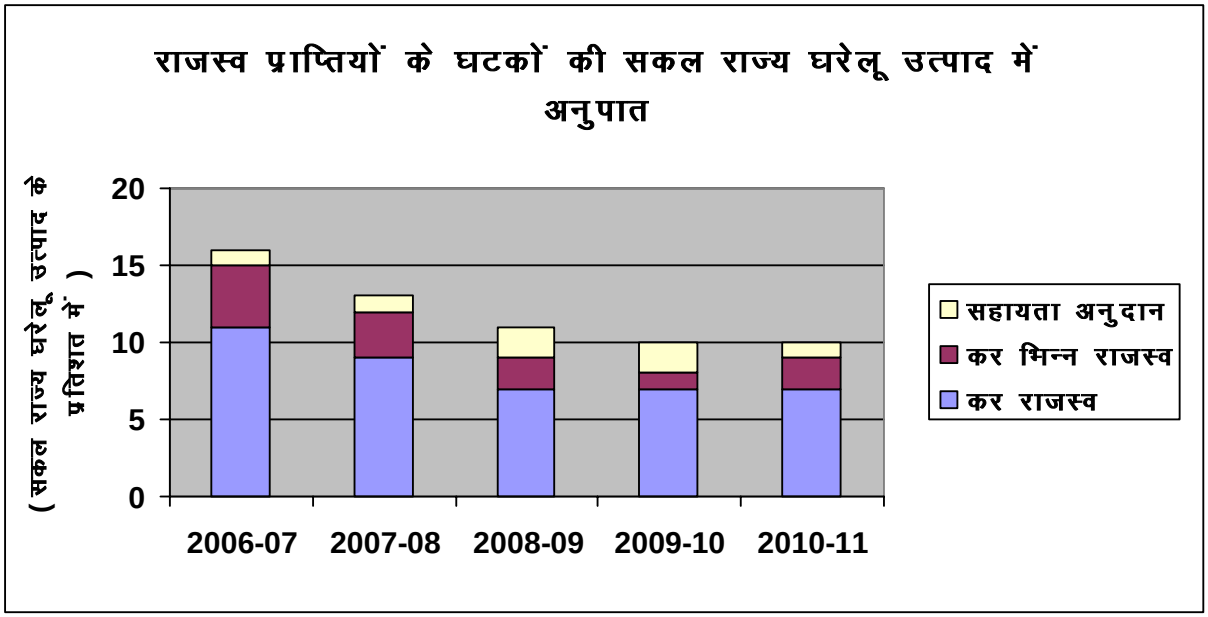

क्षेत्रवार कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
क. आय और व्यय पर कर	650	867	921	1,137	1,375
ख. सम्पति और पूंजीगत लेनदेन पर कर	1,778	1,773	1,335	1,305	2,331
ग. वस्तुओं और सेवाओं पर कर	9,795	10,612	11,124	12,552	15,386
कुल राजस्व कर	12,223	13,252	13,380	14,994	19,092

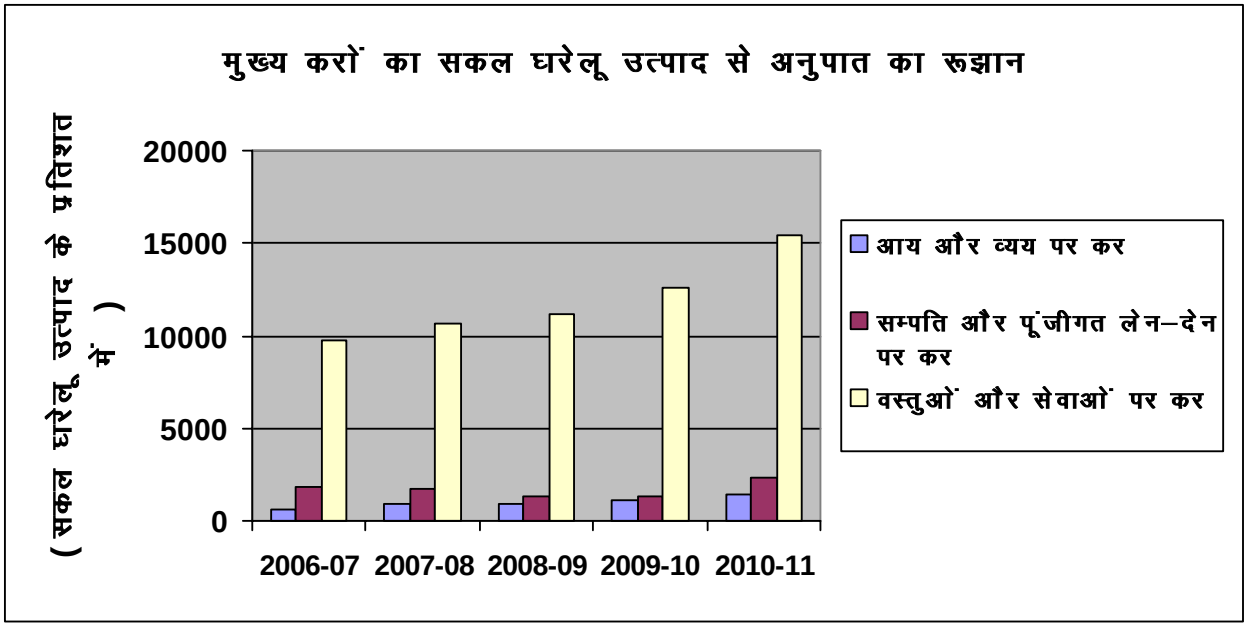

2.4 राज्य के स्वयं के कर राजस्व संग्रह का प्रदर्शन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व कर	संघ कर का राज्य अंश	राज्य का अपना राजस्व कर	
			रूपये	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2006-07	12,224	1,296	10,928	8.4%
2007-08	13,252	1,634	11,618	7.5%
2008-09	13,380	1,725	11,655	6.4%
2009-10	14,494	1,774	13,220	6.1%
2010-11	19,092	2,302	16,790	6.5%

2.5 कर संग्रह की कार्यकुशलता:

क. पूंजीगत लेन-देन और सम्पति पर कर

(₹ करोड़ में)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
राजस्व संग्रह	1,778	1,773	1,335	1,305	2,331
संग्रह पर व्यय	65	72	93	117	121
कर संग्रह में कार्यकुशलता	4%	4%	7%	9%	5%

ख. वस्तुओं और सेवाओं पर कर

(₹ करोड़ में)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
राजस्व संग्रह	9,795	10,612	11,124	12,252	15,386
संग्रह पर व्यय	67	71	95	114	127
कर संग्रह के कार्यकुशलता	1%	1%	1%	1%	1%

वस्तुओं और सेवाओं पर कर, कर राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है । कर संग्रहण क्षमता उत्कृष्ट है, हालांकि संपत्ति और पूंजीगत लेन-देन पर करों की संग्रहण क्षमता में सुधार किया जा सकता है।

2.6 पिछले पांच वर्षो में संघ करों में राज्य के हिस्से का रूझान

मुख्य शीर्ष का विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
निगम कर	404	518	565	730	900
आय पर निगम कर से भिन्न कर	246	348	355	407	475
सम्पति पर कर	1	1	1	2	2
सीमा शुल्क	253	309	330	248	403
संघ उत्पाद शुल्क	268	295	288	200	293
सेवा कर	124	163	186	187	229
वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	-	-	-	-	-
संघ कर का राज्यों का हिस्सा	**1,296**	**1,634**	**1,725**	**1,774**	**2,302**
कुल राजस्व कर	**12,223**	**13,252**	**13,380**	**14,494**	**19,092**
कुल राजस्व कर में संघ कर की प्रतिशतता	11	12	13	12	12

हरियाणा सरकार को वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक संघ कर से राज्य का हिस्सा 11 प्रतिशत से 13 प्रतिशत की दर से प्राप्त हो रहा है ।

2.7 सहायतानुदान

सहायतानुदान भारत सरकार द्वारा दी गई सहायता को दर्शाता है, और इसमें राज्य योजनागत योजनाएं, केन्द्रीय योजनागत योजनाएं और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना, योजना आयोग और राज्य वित्त आयोग से सिफारिश की गयी गैर योजनागत अनुदान द्वारा अनुमोदित योजनाओं के लिए अनुदान शामिल है । वर्ष 2010-11 के दौरान सहायता अनुदान के तहत कुल प्राप्तियां ₹ 3,051 करोड़ थी जिन्हें कि नीचे दिखाया गया है ।

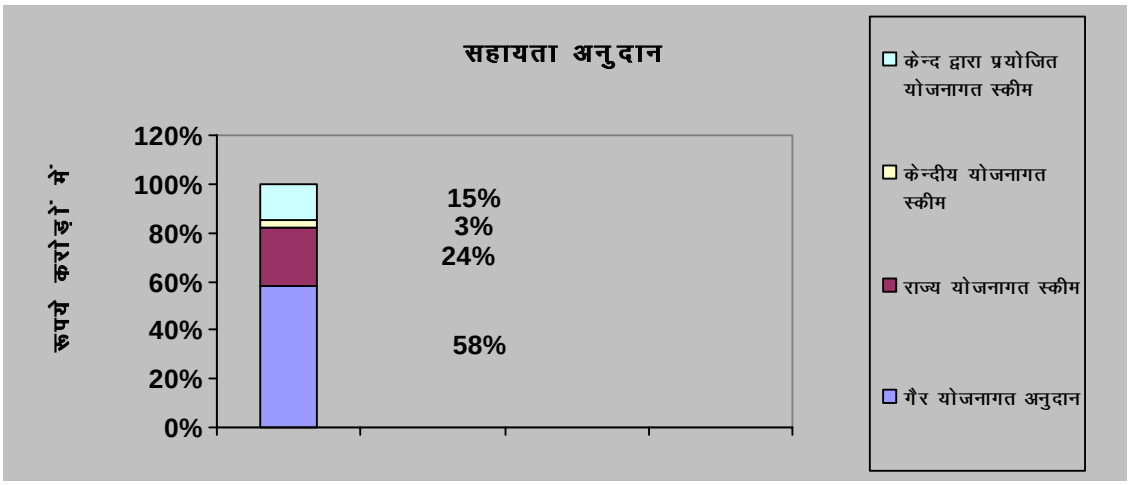

वर्ष 2009-10 के दौरान गैर योजनागत अनुदान की हिस्सेदारी कुल सहायतानुदान का 50 प्रतिशत से बढ़ी है तथा 2010-11 में बढ़कर 57 प्रतिशत हुई है । जबिक वर्ष 2009-10 में योजनागत स्कीम अनुदान में हिस्सदारी 28 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2010-11 में 25 प्रतिशत हुई है । योजनागत स्कीम में संघ का हिस्सा जो कि बजट अनुमान में ₹ 1,997 करोड़ था के विरूद्ध राज्य सरकार को वास्तव में ₹ 1,285 करोड़ (बजट अनुमान का 64 प्रतिशत) सहायतानुदान के रूप में प्राप्त हुआ।

2.8 लोक ऋण

पिछले 5 वर्षो में लोक ऋण (निवल) का रूझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
आंतरिक ऋण	988	48	2,644	5,743	5,688
केन्द्रीय ऋण	(-) 90	(-) 45	(-) 48	(-) 34	184
कुल लोक ऋण	898	3	2,596	5,709	5,872

नोट- नकारात्मक आंकडों से संकेत मिलता है कि अदायगी प्राप्तियों से अधिक है ।

वर्ष 2010-11 में 6 ऋण कुल योग ₹ 4,450 करोड़ भिन्न ब्याज दरों पर 8 प्रतिशत से 8.57 प्रतिशत पर उठाए गए थे जो कि 2020-21 में सम मूल्य पर प्रतिदेय थे ।

वर्ष 2010-11 में राज्य सरकार का कुल आंतरिक ऋण **₹ 10,205** करोड़ जिसमें केन्द्रीय ऋण घटक **₹ 308** करोड़ रूपये भी शामिल थी, पूंजीगत व्यय जो कि केवल **₹ 4,031** करोड़ (38 प्रतिशत) था, दर्शाता है कि बाकी का लोक ऋण गैर विकासात्मक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया गया था ।

अध्याय 3
व्यय

3.1. परिचय

व्यय को राजस्व और पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । संगठन की प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पुरा करने के लिए राजस्व व्यय किया जाता है । पूंजीगत व्यय का उपयोग स्थायी सम्पत्तियों के निर्माण अथवा इनमें वृद्धि करने अथवा स्थायी दायित्वों को कम करने में किया जाता है । व्यय को आगे योजनागत और गैरयोजनागत व्यय में वर्गीकृत किया जाता है ।

सामान्य सेवायें	न्याय, पुलिस, जेल, लोक निर्माण विभाग पेंशन इत्यादि शामिल
सामाजिक सेवायें	शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, अनुसूचित जाति/ जनजाति का कल्याण शामिल
आर्थिक सेवाएं	कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई , सहकारिता, उर्जा, उद्योग, परिवहन शामिल।

3.2. राजस्व व्यय

वर्ष 2010-11 में राजस्व व्यय ₹ 28,713 करोड़, बजट अनुमान से ₹ 4,349 करोड़ कम रहा ।

पिछले पाँच वर्षो के दौरान राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत बजट अनुमानों के विरूद्ध व्ययों की कमी का विवरण नीचे दिया है ।

(₹ करोड़ में)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
अनुमानित बजट	16,929	18,521	23,364	27,519	33,062
वास्तविक	16,494	17,641	20,635	25,435	28,713
अन्तर	434	880	2,729	2,084	4,349
अनुमान बजट से अधिक अन्तर का प्रतिशत	3	5	12	13	13

बजट अनुमानों के विरूद्ध राजस्व प्राप्तियों में कमी (13 प्रतिशत) के कारण राज्य सरकार को राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (एफ आर बी एम) अधिनियम के संदर्भ में राजस्व अधिशेष सृजन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा । कुल राजस्व व्यय के 57 प्रतिशत के लगभग गैर योजनागत व्यय (वेतन, पेंशन इत्यादि) पर खर्च की गई । साथ ही यह भी तथ्य है कि भारत सरकार ने अपने वायदे अनुसार सहायता अनुदान राशि का 131 प्रतिशत ही जारी किया । परिणामस्वरूप योजनागत व्यय में 9 प्रतिशत ₹ 4,819 करोड़ (वर्ष 2009-10) से ₹ 4,383 करोड़ (वर्ष 2010-11) की कमी हुई है ।

3.2.1 राजस्व व्यय का सेक्टर वितरण (2010–11)

(₹ करोड़ में)

अवयव	राशि	प्रतिशत
क. वित्तीय सेवायें	250	1
(i) पूंजी लेनदेन और सम्पति पर कर की वसूली	122	-
(ii) वस्तुओं और सेवाओं पर कर की वसूली	127	-
(iii) अन्य वित्तीय सेवाएं	1	-
ख. राज्य के अंग	368	1
ग. ब्याज भुगतान और ऋण सेवाएं	3,424	12
घ. प्रशासनिक सेवाएं	2,191	8
ड़. पेंशन और विविध सामान्य सेवाएं	3,095	11
च. सामाजिक सेवाएं	10,904	39
छ. आर्थिक सेवाएं	7,997	28
ज. सहायतानुदान और अंशदान	81	-
कुल व्यय (राजस्व लेखा)	28,310	100

3.2.2 राजस्व व्यय के मुख्य घटक (2006 – 2011)

सकल राजस्व के मुख्य घटकों का रूझान

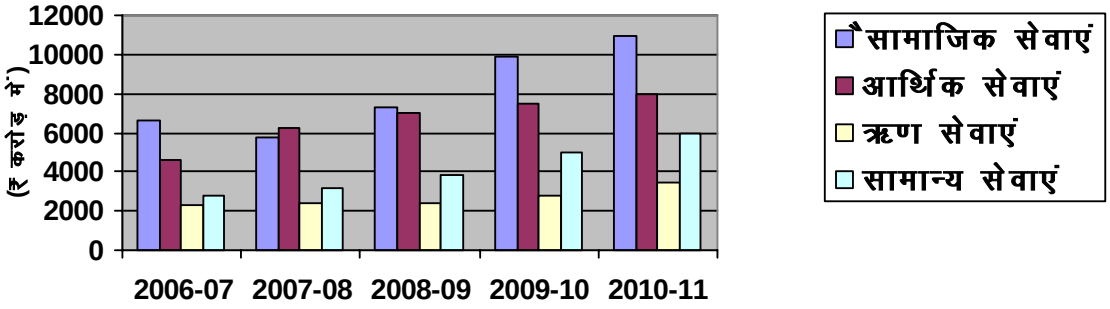

सामान्य सेवायें मुख्य शीर्ष 2048 (ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन), मुख्य शीर्ष 2049 (ब्याज भुगतान) को छोड़कर तथा मुख्य शीर्ष 3604 (स्थानीय निकायों/पंचायत राज्य संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समुनादेशन) को शामिल करके है ।

आर्थिक सेवाओं पर व्यय (जिसमें ग्रामिण विकास, कृषि, सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल है) अन्य सेवाओं में लगातार वृद्धि के कारण कम होता गया है ।

3.3. पूंजीगत व्यय

वर्ष 2010-11 का पूंजीगत संवितरण सकल धरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत जो कि बजट अनुमान से ₹ 3,832 करोड़ कम था (₹ 2,145 करोड़ योजनागत व्यय तथा ₹ 1,687 करोड़ गैर योजनागत में कम संवितरण)

3.3.1. पूंजीगत व्ययों का क्षेत्रवार संवितरण

वर्ष 2010-11 के दौरान सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं पर ₹ 760 करोड़ खर्च किए (₹ 222 करोड़ रूपये मुख्य सिंचाई पर, ₹ 417 करोड़ मध्यम सिंचाई पर तथा ₹ 121 करोड़ लधु सिंचाई) और विभिन्न सांवधिक निगमों/कंपनियों/सोसायटियों में ₹ 817 करोड़ रूपये निवेश किए।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	क्षेत्र	राशि	प्रतिशत
1.	सामान्य सेवाएं-पुलिस, भूमि राजस्व आदि	199	4
2.	सामाजिक सेवाएं-शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जलापूर्ति, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का कल्याण, आदि	1,230	26
3.	आर्थिक सेवाएं-कृषि, ग्रामिण विकास, सिंचाई, सहकारिता, उर्जा, उद्योग, परिवहन आदि	2,602	55
4.	ऋण और अग्रिम संवितरण	722	15
कुल		**4,753**	**100**

3.3.2 पिछले पांच वर्षो में पूंजीगत व्यय का क्षेत्रवार वितरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	क्षेत्र	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1.	सामान्य सेवाएं	90	171	195	187	199
2.	सामाजिक सेवाएं	649	922	1,109	1,070	1,230
3.	आर्थिक सेवाएं	1,688	2,333	3,198	3,961	2,602
4.	ऋण और अग्रिम	185	286	322	830	722
	कुल	**2,612**	**3,712**	**4,834**	**6,048**	**4,753**

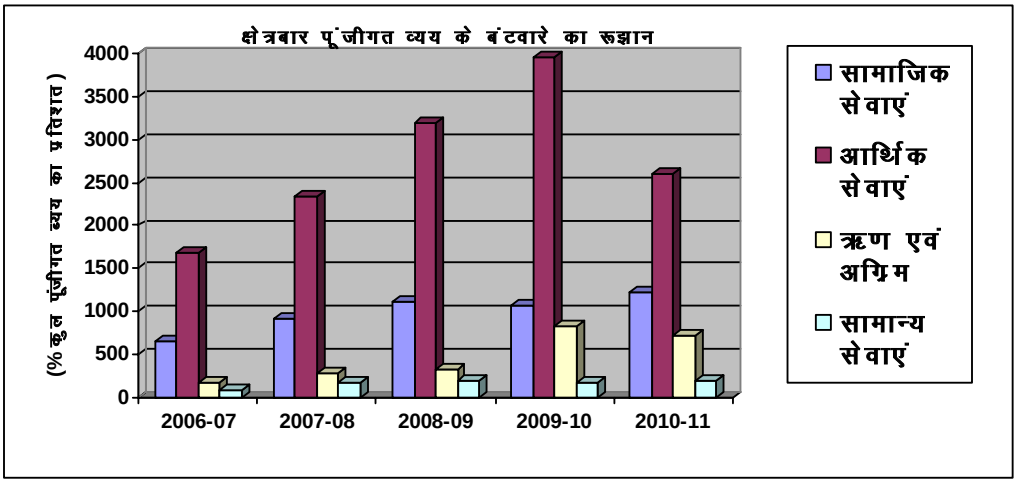

अध्याय 4

योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय

4.1 व्यय का वितरण (2010-11)

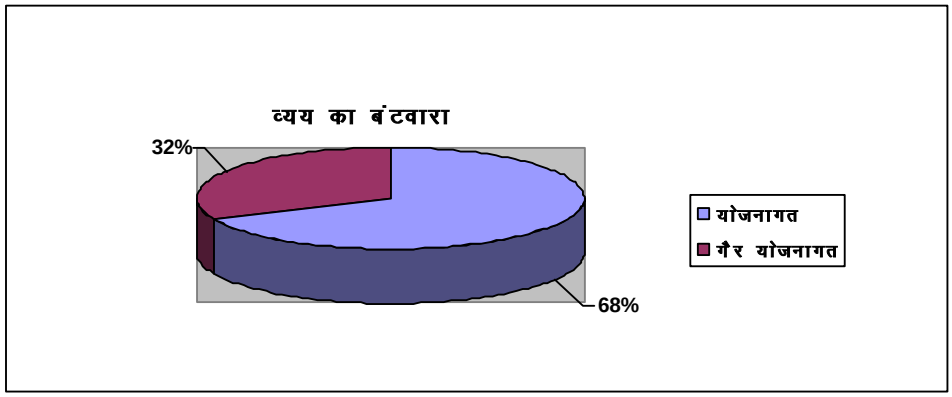

4.2 योजनागत व्यय

वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 10635 करोड़ कुल संवितरण के 32 प्रतिशत योजनागत व्यय को दर्शाता है । (राज्य योजनागत के अन्तर्गत ₹ 9,124 करोड़, ₹ 973 करोड़ केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनागत स्कीमें और ₹ 538 करोड़ ऋण और अग्रिम के तहत) था।

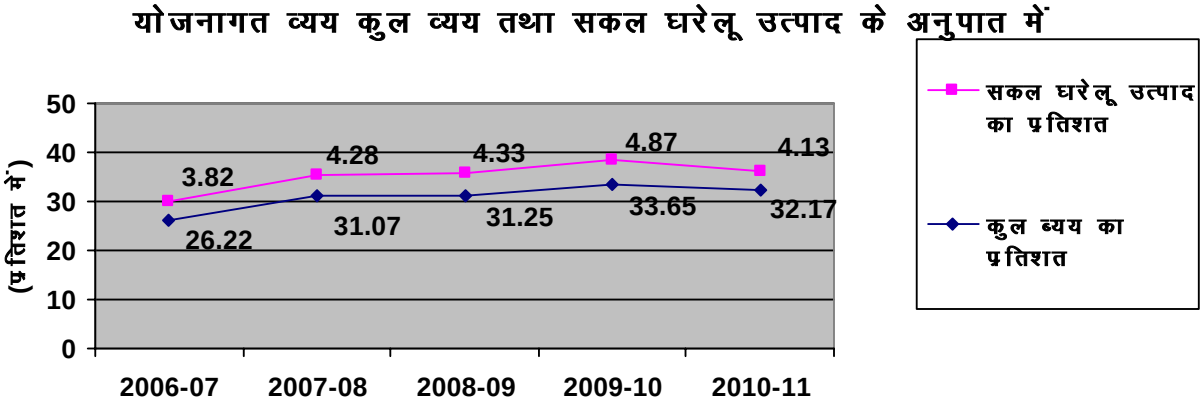

4.2.1 पूंजीगत खाते के अंतर्गत योजनागत व्यय

(₹ करोड़ में)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
कुल पूंजीगत व्यय	2,612	3,711	4,834	6,048	4,753
पूंजीगत व्यय (योजनागत)	2,521	3,436	4,010	4,819	4,383
पुंजीगत व्यय का प्रतिशत (योजनागत) और कुल पूंजीगत व्यय	97	93	83	80	92

4.3 गैर योजनागत व्यय

वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 22,447 करोड़ रूपए कुल संवितरण के 68 प्रतिशत गैर योजनागत व्यय को दर्शाता है (₹ 22,059 करोड़ राजस्व और ₹ 370 करोड़ पूंजीगत के अन्तर्गत) था ।

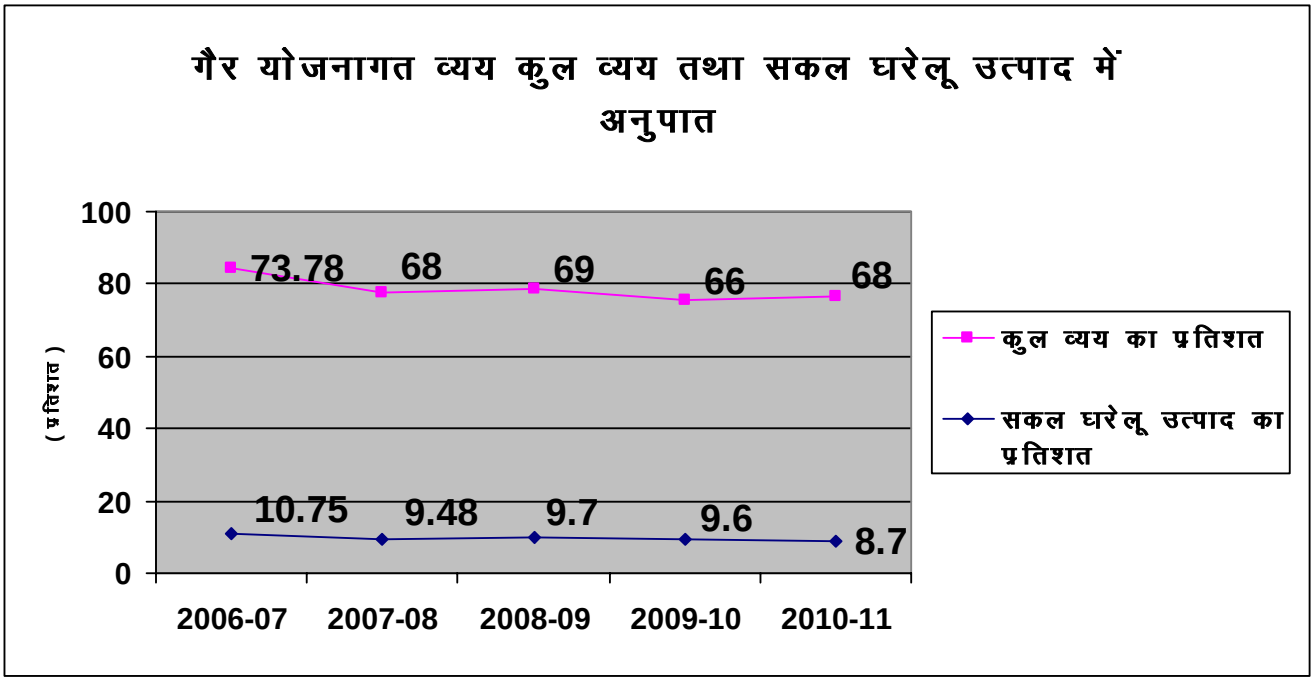

4.4 प्रतिबद्ध व्यय

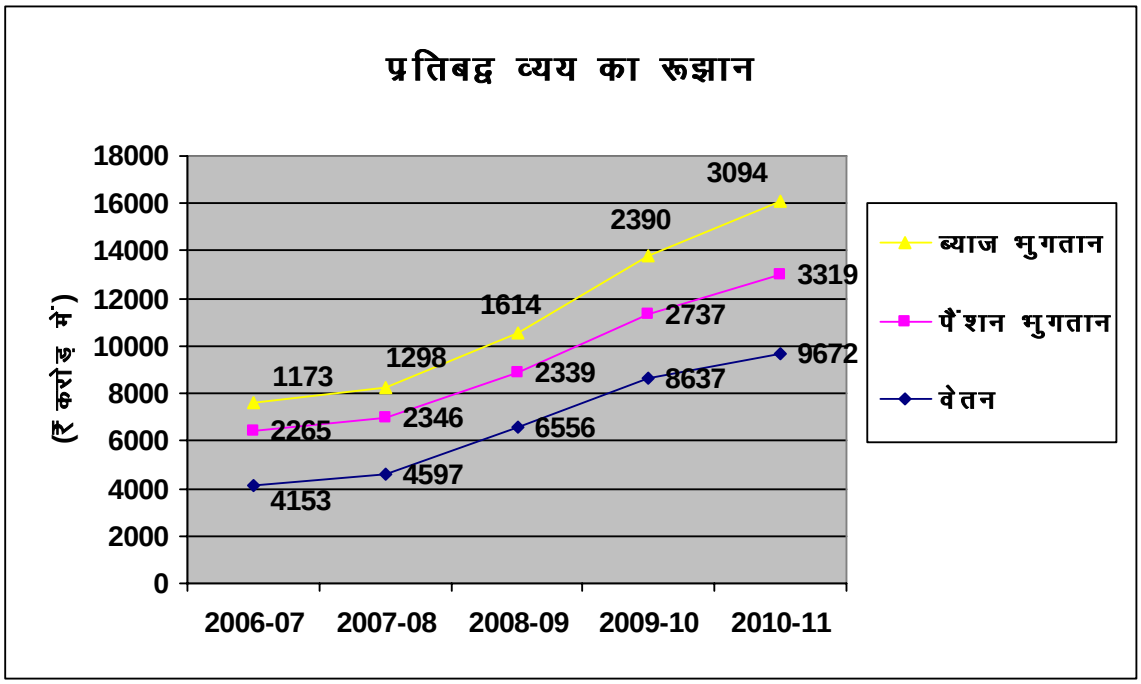

घटक	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
प्रतिबद्ध व्यय	7,591	8,241	10,509	13,764	16,085
राजस्व व्यय	16,362	17,527	20,535	25,257	28,310
प्रतिबद्ध व्यय का राजस्व प्राप्ति से प्रतिशत	42	42	57	66	63
प्रतिबद्ध व्यय का राजस्व व्यय से प्रतिशत	46	47	51	54	57

प्रतिबद्ध व्यय पर अत्यधिक व्यय की प्रवृत्ति विकासात्मक व्यय के लिए सरकार को कम लचीलापन देती है ।

अध्याय 5

विनियोग लेखे

5.1. विनियोग लेखे 2010-11 का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-) आधिक्य (+)
1	**राजस्व**						
	दत्तमत	24,599	4,391	(-) 3,349	25,641	25,233	(-) 408
	भारित	4,065	7	(-) 507	3,565	3,480	(-) 85
2	**पूंजीगत**						
	दत्तमत	7,710	1,352	(-) 1,571	7,491	7,574	273
	भारित	48	11	(-) 2	57	53	(-) 3
3	लोक ऋण						
	भारित	5,954	1,914	(-) 3,594	4,274	4,642	368
4	ऋण और अग्रिम						
	दत्तमत	1,602	--	(-) 847	755	722	(-) 33
5	आकस्मिकता निधि को विनियोजन	--	190	--	190	190	--
	कुल						
	दत्तमत	**39,865**	**7,657**	**(-) 9,362**	**38,160**	**38,360**	**199**
	भारित	**4,113**	**18**	**(-) 510**	**3,621**	**3,533**	**(-) 88**

5.2. पिछले पाँच वर्षो का बचत और आधिक्य का रूझान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बचत (-) /आधिक्य (+)				
	राजस्व	पूंजीगत	लोक ऋण	ऋण और पेशगियां	कुल
2006-07	(-) 435	(-) 606	(-) 684	(-) 7	(-) 1,732
2007-08	(-) 880	(-) 1,316	(-) 1,375	(-) 12	(-) 3,583
2008-09	(-) 2,729	(-) 1,256	(-) 1,097	(-) 137	(-) 5,219
2009-10	(-) 2,084	(-) 3,223	(-) 2,032	(-) 654	(-) 7,993
2010-11	(-) 4,349	(-) 5,410	(-) 3,226	(-) 881	(-) 13,866

5.3. महत्वपूर्ण बचत

अनुदान के तहत पर्याप्त बचत कुछ योजनाओं का गैर कार्यान्वयन कार्यक्रमों के धीमी कार्यान्वयन को इंगित करता है । जिन अनुदानों में लगातार बचत दिखाई गयी निम्न प्रकार है

(प्रतिशत में)

ग्रांट का नाम	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
पशुपालन	11	1	3	10	7
सिंचाई	3	5	10	42	26

अध्याय 6

परिसम्पत्तियाँ और दायित्व

6.1. परिसम्पत्तियाँ

खातों के मौजूदा स्वरूप सरकारी परिसम्पत्तियों, जैसे भूमि, भवनों आदि का पूर्ण रूप से सही मूल्यांकन नहीं दर्शाते । (अधिग्रहण-खरीद के वर्ष छोड़कर) इसी प्रकार खाते, केवल चालू वर्ष में होने वाले देनदारियों के प्रभाव को दर्शातें हैं वे केवल एक सीमा तक ब्याज की दर तथा मौजूदा ऋण की अवधि को दर्शाते हैं न कि देनदारियों का भविष्य में होने वाले सम्पूर्ण प्रभाव को ।

वर्ष 2010-11 में गैर वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में शेयर पूंजी के रूप में कुल निवेश ₹ 6,377 करोड़ था । वर्ष के दौरान लाभांश प्राप्ति ₹ 2.48 करोड़ (निवेश का 0.04 प्रतिशत) था । वर्ष 2010-11 में निवेश में ₹ 817 करोड़ की वृद्धि हुई है जबकि लाभांश आय में ₹ 7.12 करोड़ की कमी हुई है ।

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ आरंभिक रोकड़ शेष ₹(-)1,132 करोड़ था, इसमें 31 मार्च 2011 के अंत मे ₹ (-)1,776 करोड़ की नकारात्मक वृद्धि हुई है ।

6.2. ऋण और दायित्व

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 293 राज्य सरकारों को संचित निधि की अभिरक्षा पर एक सीमा के भीतर, यदि कोई है उधार लेने की शक्तियां प्रदान करता है जो कि राज्य विधानमण्डल द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती है ।

राज्य सरकार के लोक ऋण तथा दायित्वों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लोक ऋण	जी.एस.डी.पी से %	लोक लेखा (*)	जी.एस.डी.पी से %	कुल दायित्व	जी.एस.डी.पी से %
2006-07	19,588	17	9,028	8	28,616	25
2007-08	20,489	14	8,628	6	29,117	20
2008-09	23,085	13	9,193	5	32,278	18
2009-10	28,795	14	10,542	5	39,337	19
2010-11	34,666	13	11,616	5	46,282	18

(*) उचन्त और प्रेषण शेष से बाहर है।
नोटः वर्ष के अन्त तक आंकड़े प्रगतिशील शेष हैं ।

वर्ष 2009-10 की तुलना में लोक ऋण और अन्य दायित्वों में ₹ 6,945 करोड़ (18%) की निविल वृद्धि हुई है ।

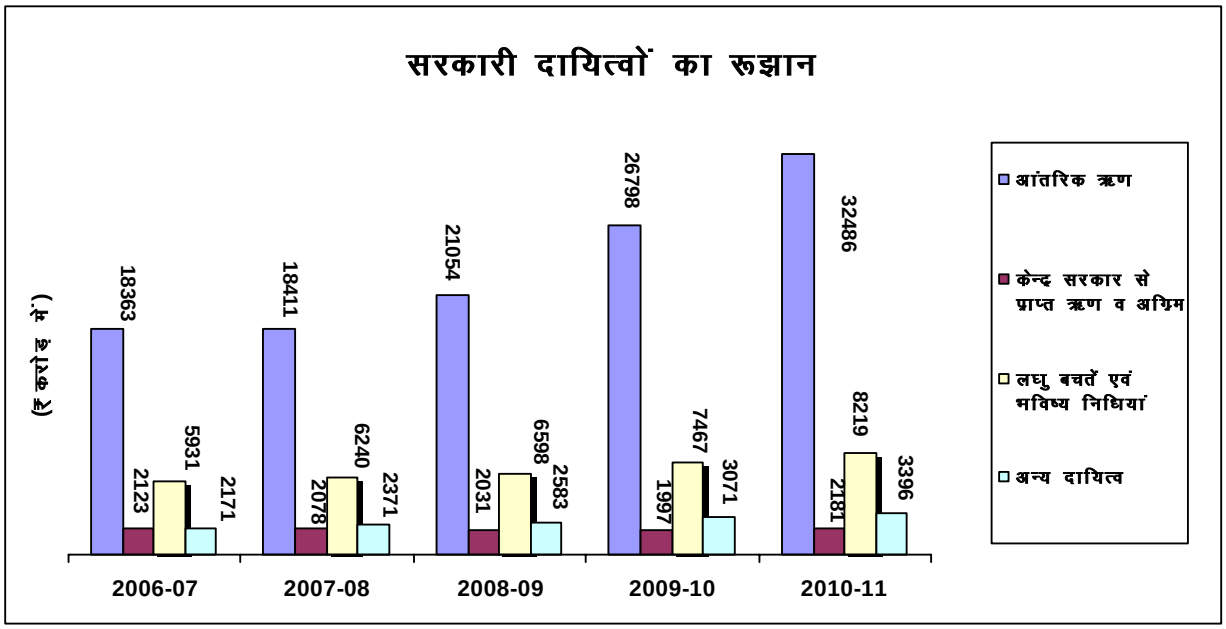

6.3. गारंटी

सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों निगमों, सहकारी समितियों आदि द्वारा ली गई पूंजी और उस पर ब्याज के भुगतान की अदायगी के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की स्थिति निम्न तालिका में दिखाई गई है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष के अन्त तक	अधिकतम गारंटी राशि (केवल मूलधन)	31 मार्च 2010 तक अदत्त राशि	
		मूलधन	ब्याज
2006-07	12,694	5,074	1
2007-08	6,341	4,401	-
2008-09	5,188	4,575	-
2009-10	4,757	4,575	-
2010-11	5,515	4,527	-

अध्याय 7

अन्य मदें

7.1. राज्य सरकार द्वारा प्रदत ऋण और अग्रिम

वर्ष 2010-11 के अन्त में सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण व अग्रिम का कुल योग ₹ 2,983 करोड़ था । इसमें से सरकारी निगमों/कम्पनियों, गैर सरकारी संस्थानों तथा स्थानीय निकायों को ₹ 1,657 करोड़ कर्जे तथा अग्रिम दिये गये हैं । वर्ष 2010-11 के अंत तक मूलधन की वसूली ₹ 41 करोड़ तथा ब्याज की वसूली ₹ 74 करोड़ बकाया थी ।

7.2. स्थानीय निकायओं और अन्य को वित्तीय सहायता

वर्ष 2006-07 से वर्ष 2010-11 तक बीते पाँच वर्षो में स्थानीय निकायों इत्यादि को सहायतानुदान में ₹ 608 करोड़ से ₹ 2,955 करोड़ की वृद्धि हुई है । जिला परिषद, पंचायत समितियाँ तथा नगरपालिकाओं, (₹ 687 करोड़) को कुल सहायतानुदान का 19 प्रतिशत आबंटन किया गया है ।

बीते पाँच वर्षों के सहायतानुदान का विस्तृत विवरण निम्न दर्शाया गया है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जिला परिषद	नगरपालिका	पंचायत समिति	अन्य	कुल
2006-07	--	--	--	922	922
2007-08	--	--	--	1,572	1,572
2008-09	--	--	--	2,053	2,053
2009-10	626	306	--	1,724	2,656
2010-11	687	288	--	1,979	2,954

7.3 रोकड़ शेष का निवेश और नकदी शेष

(₹ करोड़ में)

घटक	1 अप्रैल 2011 तक	31 मार्च 2010 तक	शुद्ध वृद्धि (+)/कमी(-)
रोकड़ शेष	(-)1,776	(-)1,132	(-)644
रोकड़ शेष से निवेश (जी.ओ.आई. खजाना बिल)	684	103	581
निर्धारित निधि शेष से निवेश	1,455	1,518	(-)63
(क) निक्षेप निधि	524	388	136
(ख) गारंटी मोचन निधि	64	59	5
(ग) अन्य निधि	867	1,069	(-)202
ब्याज प्राप्ति	41	25	16

वर्ष 2010-11 में रोकड़ तथा पृथक रक्षित शेषों के निवेश के बावजूद भी राज्य सरकार का अन्त शेष ऋणात्मक था। निवेशों की ब्याज प्राप्तियों में 64% की वृद्धि थी ।

7.4 लेखाओं का समाशोधन

लेखे की यथार्थता और विश्वसनीयता अन्य बातों के साथ विभागीय आंकड़ों की लेखा आंकड़ों से समय पर मिलान होने पर निर्भर करती है । वार्षिक लेखे बंद होने से पहले कार्यालय अध्यक्ष विभागीय लेखा आंकड़ों का महालेखाकार द्वारा संकलित लेखे में दर्ज आंकड़ों से मिलान करते हैं । लेखा आंकड़ों का मिलान हर मास किया जाना होता है । वर्ष 2010-11 के दौरान सभी लेखा शीर्षों के अन्तर्गत व्यय की गयी राशि का लेखा आंकड़ों से मिलान कर लिया गया ।

विवरणियाँ	मुख्य नियंत्रक अधिकारियों की कुल संख्या	पूर्ण मिलान	आंशिक मिलान	मिलान नही
व्यय	162	162	शून्य	शून्य
प्राप्तियाँ	94	94	शून्य	शून्य
कुल	**256**	**256**	**शून्य**	**शून्य**

7.5 कोषालय द्वारा लेखों का प्रस्तुतिकरण

वर्ष 2010-11 के दौरान महालेखाकार (लेखा एवं हक) को खजानों द्वारा लेखे 2 से 35 दिन तथा लोक निर्माण/वन मण्डलों द्वारा 1 से 15 दिन तक देरी से भेजे गए ।

7.6 सार आकस्मिक बिल और विस्तृत आकस्मिक व्यय बिल

जब राशि अग्रिम रूप में चाहिए तथा व्यय की वास्तविक राशि के अनुमान की गणना नहीं की जा सकती, ऐसी स्थिति में संवितरण अधिकारी बिना किसी सहायक दस्तावेज के सार आकस्मिक बिल द्वारा आवश्यक राशि आहरित कर सकता है । ऐसी सभी राशियों को जो सार आकस्मिक बिल द्वारा आहरित की गई है 90 दिन के भीतर विस्तृत आकस्मिक व्यय बिल प्रस्तुत करके समायोजित करना होता है । ₹ 0.02 करोड़ जो कि सार आकस्मिक बिल द्वारा आहरित किये गये हैं, विस्तृत आकस्मिक बिल के अभाव में वर्ष 2010-11 के अन्त में बकाया थे ।

7.7 समेकित निधि से बाहर निधियों की स्थापना

वैयक्तिक जमा खातों में हस्तान्तरण होने वाली राशि को समेकित निधि में मुख्य सेवा शीर्ष में डेबिट किया जाता हैं। विशिष्ट प्रयोजनों हेतु धन जमा करने हेतु सरकार वैयक्तिक जमा खाते खोलने के लिए प्राधिकृत है, जबकि प्रशासकों को यह लेखे वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर अव्ययित शेष को सरकारी खजाने में जमा करके बंद करने होते हैं। वर्ष के आरम्भ में वैयक्तिक जमा खातों की संख्या ₹ 2,11.61 करोड़ के साथ 271 थी। वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 2,43.26 करोड़ की राशि वैयक्तिक जमा खातों में जमा की गई और ₹ 2,66.26 करोड़ की राशि निकाली गई। वर्ष के दौरान चार खाते शून्य राशि के साथ खोले गए और 16 खाते शून्य राशि के साथ बन्द किए गए। वर्ष के अन्त में ₹1,88.61 करोड़ के साथ 259 वैयक्तिक जमा खाते चल रहे हैं।

7.8 आरक्षित निधियाँ

राज्य में वर्ष 2010 में बाढ़ के कारण राज्य के आधारभूत ढांचे को क्षति पहुंची थी तथा इसे पुनःस्थापित करने हेतु आपदा प्रबन्धन विभाग ने वर्ष 2010-11 में कुल ₹ 5,99.46 करोड़ का व्यय किया था। इस में से ₹ 2,80.05 करोड़ की राशि खजाने के माध्यम से मुख्य शीर्ष 2245-प्राकृतिक आपदा से राहत के अन्तर्गत थी तथा ₹ 3,19.41 करोड़ राज्य आपदा अनुक्रिया निधियों (निवेश लेखा सहित) से जो मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधि के अन्तर्गत है ।

यह पाया गया कि ₹ 3,19.41 करोड़ का व्यय खजानों की बजाए विभिन्न विभागों तथा मंडलीय आयुक्तों को सीधे जारी किए गए चैकों द्वारा किया गया जिसके परिणाम स्वरूप उतनी राशि का व्यय कम दर्ज हुआ। यह भी पाया गया कि राज्य आपदा अनुक्रिया निधि निवेश लेखे के अन्तर्गत ₹ 2,22.96 करोड़ की मियादी जमा राशियों के विनिवेश की आय को भी खजाने के माध्यम से नहीं दिखाया गया जिसके परिणामस्वरूप उतनी राशि की प्राप्ति कम दर्ज की गई। अभ्युक्तियां सरकार के ध्यान में लाई गई है जिन का उत्तर आना शेष है (अगस्त,2011)। यद्यपि, निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए खजाने के माध्यम से न दिखाए गए इन व्यय तथा प्राप्तियों को राज्य के वार्षिक लेखों में सम्मिलित कर लिया गया है । वर्ष 2010-11 के अंत में राज्य आपदा अनुक्रिया निधि में ₹ 9,24.71 करोड़ की राशि शेष रही ।

आरक्षित निधियों की समीक्षा की जा रही है व सरकार को उचित कार्यवाही के लिए सूचित किया जा रहा है । खाद्यान्न आरक्षित निधि व राज्य क़ृषि उधार राहत तथा प्रत्याभूति निधि में गत कई वर्षों से क्रमशः ₹ 4.77 करोड़ व ₹ 0.04 करोड़ शेष पड़े हैं।

*****